

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 6, 1942)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री -

(क) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार -

(i) जिला उमरिया का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020,

(ii) जिला कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(iii) जिला छतरपुर, अलीराजपुर, बैतूल एवं धार के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार -

(क) अधिसूचना क्रमांक 1661/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 25 नवम्बर, 2019, एवं

(ख) अधिसूचना क्रमांक मप्रविनिआ-अ.एवं.वि-2020-1040, दिनांक 7 सितम्बर, 2020

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रेमसिंह पटेल, पश्चालन मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(ख) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(5) डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018,

(ख) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-2019, तथा

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-2020

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री –

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

पटल पर रखेंगे।

(7) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा धाटी विकास, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर में सहकारी सोसाइटी के माध्यम से चिटफंड का अवैध कारोबार होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग निश्चित समय सीमा में प्रदायन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बघेलान अंतर्गत ग्राम अहिरगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के हटा नगर में रेस्ट हाउस के सामने पुल निर्माण कराये जाने,

(3) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम मुजफ्फरगढ़ में बारहमासी सड़क का निर्माण कराये जाने,

(4) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक-18 के दीनदयाल नगर में शिवदयाल चतुर्वेदी वाले कैम्पस से महादेव मंदिर तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम केकड़ा से थालादीधावन तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(6) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक-28, सुरुचि नगर, प्रकाश अपार्टमेंट के पीछे वाले कचरे व नाले की सफाई कराये जाने,

(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के कैमोर में ए.सी.सी. उद्योग की खदानों के पानी से सिंचाई उद्धन योजना स्थापित किये जाने,

(8) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिला मुख्यालय पर फुटबॉल फीडर सेन्टर की स्थापना कराये जाने,

(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में महाविद्यालय खोले जाने,

(10) श्री सुनील उर्के, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के बांधातल से टाटखाड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम देवरी निजाम में बंधीनाला पर तालाब निर्माण कराये जाने,

(12) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के पाटन में स्थित डिविजनल इंजीनियर म.प्र. विद्युत मण्डल कार्यालय को शहपुरा बरगी क्षेत्रांतर्गत स्थापित कराये जाने,

(13) श्री मनोज चावला, सदस्य, रत्नाला जिले के ग्राम भटवडीया से पंथ पिपलौदा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(14) श्री मुकेश रावत, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम सोरवा, कालीबेल, पिपरिया एवं कंथारी में मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(15) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के मकरोनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराये जाने,

(16) श्री सोहनलाल बाल्मीकी, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम पैजनवाड़ा से बरूर मार्ग के मध्य घटामाली नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(17) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा ताल रोड निपनिया होते हुये बेरछा जाने वाली नवीन रोड का निर्माण बायपास से निकाले जाने,

(18) श्री राकेश मार्वई, सदस्य, मुरैना जिले के एस.पी.क्यू.एम. योजनांतर्गत मदरसों के शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रतिमाह दिलाये जाने,

(19) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम रैपुरा शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(20) श्री अनिलद्व (माधव) मारू, सदस्य, नीमच जिले के मनासा अंतर्गत महागढ़ में कृषि महाविद्यालय बनाये जाने,

(21) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम रानी पिपल्या एवं हिंडी के मध्य डेम की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(22) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के माचलपुर में नवीन महाविद्यालय खोले जाने,

(23) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के झिरन्या मुख्यालय पर नवीन महाविद्यालय खोले जाने,

(24) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बसखिरवा से पिंडरई तक सड़क निर्माण किये जाने,

(25) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम हीरापुर में नवीन विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत किये जाने,

(26) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बनी में करजू मार्ग से चैतन्य आश्रम तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(27) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव धसान में महाविद्यालय खोले जाने,

(28) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के राघौगढ़ अंतर्गत ग्राम भुलाय में संचालित माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(29) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम लसुमलक में डेम का निर्माण कराये जाने,

(30) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के बढ़ौरा बस स्टैण्ड से कुबरी गांव के घाट में सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.....क्रमशः

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

भोपाल :

दिनांक : 24 फरवरी, 2021

**ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.**